

**रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर**  
**अल्प कालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचना**

रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ई-निविदा कराया जाना है, जोकि राज्य सरकार, लोक निर्माण विभाग व अन्य सरकारी कार्यालयों एवं रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा ई-निविदा अपलोड करना है जो तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में अर्हता मानदण्ड (टेक्निकल बिड) से सम्बन्धित प्रपत्र एवं द्वितीय चरण में वित्तीय बिड (फाइनेशियल बिड) ई-निविदा दिनांक 27.01.2024 से दिनांक 02.02.2024 तक अपराह्न 2.0 बजे तक आमन्त्रित की जाती है, तकनीकी बिड दिनांक 02.02.2024 को सांय 4.00 बजे एन0आई0सी0 कार्यालय में गठित निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर डाली जायेगी तथा निविदा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है, मैनुअल निविदा मान्य नहीं हैं। कार्य का विवरण निम्नवत् है :-

क्रम सं०	कार्य का नाम	प्राकलित राशि (लाख मे)	घरोहर राशि (लाख मे)	निविदा शुल्क (रूपये में)	कार्य की अवधि	निविदा दाता की श्रेणी
1	पुल की ठोकर से शौकत अली रोड शाहबाद गेट तक दोनो साईड पर फुटपाथ का निर्माण कार्य	33.77	0.68	2354.00	3 माह	सी श्रेणी
2	शिवापुरम कालोनी में पार्क का सौन्दर्यीकरण एवं पाथवे का निर्माण कार्य।	6.82	0.14	2266.00	45 दिन	डी श्रेणी

**शर्त :-**

- ई-निविदा शुल्क की धनराशि की धनराशि प्राधिकरण प्राधिकरण के खाता सं० 03302010011120 IFSC Code PUNB0033010 पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाइन्स रामपुर में जमा करना होगा तथा उसकी रसीद अपलोड करनी होगी एवं ई-निविदा के साथ धरोहर राशि एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० सचिव, रामपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में बंधक रख कर छायाप्रति अपलोड करने के पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। निविदा शुल्क के बिना निविदा मान्य नहीं होगी।
- जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण/बैंक हैसियत प्रमाण पत्र, आयकर, जी०एस०टी०, लेबर सैस में रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण अनिवार्य है एवं फर्म का राज्य सरकार, लोक निर्माण विभाग व अन्य सरकारी कार्यालयों एवं रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर में पंजीकृत होना चाहिये।
- कार्य से सम्बन्धित अनुभव होना अनिवार्य है एवं आयकर, जी०एस०टी० में रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण, चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- कार्य हेतु ठेकेदार द्वारा कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
- ठेकेदार द्वारा विगत 03 वर्षों का आई०टी०आर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
- सशर्त ई-निविदा मान्य नहीं होगी एवं उपरोक्त समस्त कार्यों का डिपेक्ट लायबिलिटी पीरियड एक वर्ष होगा। 10 प्रतिशत सिक्योरिटी धनराशि को अन्तिम बिल की दिनांक से 01 वर्ष पश्चात् ही अवमुक्त किया जायेगा।
- कोई निविदादाता, जिसका अपराधिक रिकार्ड हो उसे निविदा प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं है।
- निविदादाता को परामर्श दिया जाता है कि वह स्वयं स्थल निरीक्षण कर लें एवं सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही ई-निविदा में प्रतिभाग करें।
- केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर लगाये गये कसो की कटौती तत्समय प्रचलित दरों के अनुसार निविदादाताओं के चलित/अन्तिम देयकों से की जायेगी।
- स्वीकृत निविदादाता द्वारा नियमों से विपरीत आचरण करने, कार्य की गुणवत्ता खराब करने, फिनिशिंग ठीक न करने, विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों से अभद्र व्यवहार करने आदि पर फर्म को ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार

- उपाध्यक्ष, रामपुर विकास प्राधिकरण को होगा।
11. प्राप्त समस्त निविदाओं अथवा किसी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निर्विवाद रूप से उपाध्यक्ष, रामपुर विकास प्राधिकरण में निहित है, जिसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
  12. उपरोक्त वर्णित कार्य में प्रयोग होने वाले यन्त्र/संयन्त्र की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करना होगा।
  13. विकास कार्य में प्रयुक्त सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता की जांच प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर द्वारा की जायेगी, जिस पर आने वाला व्यय सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को वहन करना होगा।
  14. नियमानुसार जी0एस0टी0 देय होगी।
  15. तकनीकी बिड में अर्ह निविदादाता को वित्तीय बिड खोलने हेतु पृथक से सूचना दी जायेगी।
  16. कोई भी निविदादाता जो राज्य विधि कौंसिल में पंजीकृत हो निविदा देने से प्रतिबन्धित होंगे (निविदा डालने के योग्य नहीं होंगे)।
  17. कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार कार्य की मात्राओं में विचलन हो सकता है।
  18. जो निविदादाता अपनी दरें BOQ की दरों से 10 प्रतिशत से अधिक निम्न अंकित करते हैं उन्हें 10 प्रतिशत निम्न तक, 05 प्रतिशत, तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न दर पर 01.00 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्वोरिटी/परफारमेन्स गारन्टी जमा करनी होगी।
  19. निविदा प्रपत्र एवं अपलोड किये जाने वाले समस्त अभिलेखों को निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है, बिना स्वहस्ताक्षरित निविदा प्रपत्र के प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
  20. निविदा स्वीकृति की दशा में निविदादाता को भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा फर्म विनियमिन) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व श्रम विभाग में पजीयन सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।
  21. मिट्टी के कार्य हेतु यदि रायल्टी की देयता बनती है तो उसे ठेकेदार द्वारा वहन करना होगा एवं निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों पर देय रायल्टी से सम्बन्धित प्रपत्र बिल भुगतान से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
  22. पात्र ठेकेदारों को अपनी निविदा दरें बिना GST के अंकित करनी होगी। BOQ की दरों में GST सम्मिलित नहीं हैं। निविदादाता द्वारा GST का चालान कार्यालय में प्रस्तुत करने पर प्राधिकरण द्वारा GST अंश का भुगतान किया जायेगा।
  23. निविदादाता द्वारा निविदा के समय अपलोड किये गये प्रपत्रों को निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने अर्थात निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से 07 दिन की समयावधि में विभाग में प्रस्तुत करने होंगे।
  24. निविदा प्रपत्र में निविदा की दरें शब्दों व अंकों (दोनों में) स्पष्ट रूप से अंकित की जायेगी, किसी भी प्रकार की Cutting/Over writing मान्य नहीं होगी।
  25. विशेष जानकारी के लिये रामपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में अवर अभियन्ता दूरभाष सं0 7290008896 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय



for सहायक अभियन्ता  
रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर  
रामपुर

मन्  
रक्त  
जाना  
वा फर्म  
करा  
मार्ग व  
मिलित  
का भु  
र्यत निर्  
रूप से  
कसी भी  
वर अभिय

दीय  
गरी(वि/रा  
स प्राधिक  
रामपुर